बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधि0सू0सं0–भवन/10–आरोप(विद्युत)–49/2017 3605(भ) पटना, दिनांक– 18/6/20

:: अधिसूचना ::

श्री दीपक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–मोतिहारी को अनुशासनहीनता, सरकारी कार्यो में लापरवाही बरतने एवं विगत तीन वर्षो से अपने मुख्यालय से अनुपस्थित रहने एवं विभागीय निदेश की अवहेलना करने के कारण विभागीय पत्रांक–5737(भ0) अनु0 दिनांक–27.06.2017 स्मार पत्रांक–7225(भ0)अनु0 दिनांक–17.08.2017 पत्रांक–7815(भ0)अनु0 दिनांक–31.08.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी। विभागीय स्तर से अनेक पत्र प्रेषित करने के बावजूद उनके द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्हें मुख्यालय में पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्पित करने हेतु विभागीय पत्रांक –9342(भ0) दिनांक–17.10.2017 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को पत्र प्रेषित किया गया।

2. श्री कुमार का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने के स्थिति में उनके विरूद्ध आरोप प्रपत्र–''क'' गठित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार से प्रपत्र–''क'' में गठित आरोपों के संदर्भ में कंडिकावार प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, अपने पदीय दायित्वों का ससमय निष्पादन नहीं करने, उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा विभागीय निदेश की अवहेलना करने के कारण विभागीय संकल्प संख्या–1494(भ0) दिनांक–16.02.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। जिसके लिए श्री रमेन्द्र कुमार, विद्युत अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, विद्युत अंचल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री ज्ञान रत्न, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, बाँकीपुर, पटना, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री कुमार को अनुशासनहीनता, सरकारी कार्यो में लापरवाही बरतने एवं विगत तीन वर्षो से अपने मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से विभागीय अधिसूचना संख्या–2283 (भ0) दिनांक–12.03.2018 द्वारा निलंबित किया गया।

4. श्री कुमार के निलंबन के उपरान्त निर्धारित मुख्यालय विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या–02, पटना, भवन निर्माण विभाग में योगदान नहीं देने के कारण विभागीय पत्रांक–6337(भ0)अनु0 दिनांक–26.06.2008 द्वारा निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्हें एक सप्ताह के अन्दर संचालन पदाधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष रखने हेतु एवं निर्धारित मुख्यालय में योगदान करने के लिए सूचित किया गया था एवं संचालन पदाधिकारी–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, विद्युत कार्य अंचल, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा बार–बार श्री कुमार को विभागीय कार्यवाही के सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

5. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–335 दिनांक–30.01.2019 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में दर्ज निष्कर्ष के रूप में आरोपित पदाधिकारी द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य विभागीय कार्यवाही के संचालन के समय प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण श्री कुमार पर लगे आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

6. उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–7539(भ0)अनु0 दिनांक–20.08.2019 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से पन्द्रह (15) दिनों के अन्दर द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित करने का निदेश दिया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिनांक–03.09.2019 को द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर समर्पित किया गया, जो स्वीकार योग्य नहीं था।

7. सम्यक् विचारोपरान्त प्रमाणित आरोप गम्भीर प्रकृति के होने के कारण श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के निमय–14 (IX) के आलोक में वृहत दण्ड के रूप में 'अनिवार्य सेवानिवृति' किये जाने के दण्ड अधिरोपण के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

8. विभागीय पत्रांक–1615(भ0)अनु0 दिनांक–20.02.2020 द्वारा **'अनिवार्य सेवानिवृति'** के अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति/परामर्श हेतु पत्र भेजा गया। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–208 दिनांक–20.02.2020 के द्वारा विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति दी गयी।

9. श्री कुमार की जन्मतिथि–15.03.1982 है तथा सेवानिवृति की तिथि–31.03.2042 है।

10. वर्णित तथ्यों के आलोक में मंत्रिपरिषद् की दिनांक–16.06.2020 को हुयी बैठक में मंद संख्या–10 के रूप में श्री दीपक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–मोतिहारी सम्प्रति निलंबित को बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, अपने पद से संबंधित कार्यो का निष्पादन ससमय नहीं करने, उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा विभागीय निदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (ix) के निहित प्रावधानों के तहत 'अनिवार्य सेवानिवृति' किये जाने के वृहत दण्ड पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

11. अतएव श्री दीपक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–मोतिहारी सम्प्रति निलंबित को बिना सूचना के मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, अपने पद से संबंधित कार्यो का निष्पादन ससमय नहीं करने, उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा विभागीय निदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (ix) के अन्तर्गत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

i. **'अनिवार्य सेवानिवृति'।**

12. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18/6/2020

(मनीष कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3605(भ) पटना, दिनांक– 18/6/20

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–07 को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/6/2020

सरकार के विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3605(भ) पटना, दिनांक– 18/6/20

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना वीरचन्द पटेल पथ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/6/2020

सरकार के विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

D//Sanjay Singh//BIBHU JEE-2020//Adhisuchna. Adesh

ज्ञापांक– 3605 (म)   पटना, दिनांक– 18/6/20

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/मोतिहारी/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता/विद्युत अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार, विद्युत अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, विद्युत कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/पटना प्रमंडल संख्या–02/प्रशाखा पदाधिकारी, राजपत्रित स्थापना प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/श्री दीपक कुमार, सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्य अवर प्रमंडल, मुजफ्फरपुर–सह–मोतिहारी सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय विद्युत कार्य प्रमंडल संख्या–02, पटना, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/2020

सरकार के विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 3605 (म)   पटना, दिनांक– 18/6/20

प्रतिलिपिः–आ0ई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/6/2020

सरकार के विशेष सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

18.6.20

D//Sanjay Singh//BIBHU JEE-2020//Adhisuchna. Adesh